हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 05.04.2022 को श्रीयुत बाला सुंदरी माइंस एंड मिनरल्स, पार्टनर श्री मनीष कुमार, ऋषि कुमार, और नवीन कुमार निवासी हाउस नंबर-169/19, वार्ड नंबर 5, यमुना विहार, शमशेरपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर, (हि. प्र.) की मोजा मोहाल भटरोग, खसरा नंबर 137/122/75/1 और कुल खनन क्षेत्र 3.09 हेक्टेयर (36.13 बीघा) तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 57,706 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक **05.04.2022 को श्रीयुत बाला सुंदरी माइंस एंड मिनरल्स, पार्टनर श्री मनीष कुमार, ऋषि कुमार, और नवीन कुमार निवासी हाउस नंबर-169/19, वार्ड नंबर 5, यमुना विहार, शमशेरपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर, (हि. प्र.)** की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई समुदायिक भवन ग्राम पोका, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। **प्रस्तावित खनन पट्टा मौजा मोहाल भटरोग, खसरा नंबर 137/122/75/1 और कुल खनन क्षेत्र 3.09 हेक्टेयर (36.13 बीघा) तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 57,706 टन प्रति वर्ष)** हेतु, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि संलग्न-1 में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदया की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिप्पणी
1	श्री पवन शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब।	इन्होने कहा कि- खनन क्षेत्र से स्टॉक यार्ड की दूरी कितनी है, तथा क्या परिवहन के लिए मार्ग को चिन्हित किया गया है ? कच्चे माल के ढुलान से उड़ने वाली धूल मिट्टी की रोकथाम हेतु क्या उपाय किये जायेगे?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि स्टॉक यार्ड की दूरी लगभग 500 मीटर दूर होगी तथा खनन क्षेत्र से स्टॉक यार्ड तक की सड़क मार्ग को चिन्हित किया जायेगा जिसपर परिवहन के कारण उड़ने वाली धूल व मिट्टी को रोकने हेतु समय-समय पर टैंकर द्वारा जल छिड़काव किया जायेगा।

2	श्री खजान सिंह निवासी ग्राम पोका- भटरोग।	इन्होने कहा कि खनन क्षेत्र से लगभग 500 मीटर की दुरी पर मेरी जमीन लगती है जहां पर पहले से चल रहे क्रेशर द्वारा खूब प्रदुषण फैलाया जाता है साथ ही शोर भी बहुत होता है जिस से हमें परेशानी होती है। जब हम उनके पास किसी प्रकार की सहायता हेतु जाते है तो वो हमें किसी भी प्रकार की सहायता भी नहीं करते। हमे खनन पट्टे से कोई आपत्ति नही है परन्तु वहां पर कोई क्रेशर नहीं चलना चाहिए। स्थानीय लोगो को नौकरी मे प्राथमिकता नहीं दी जाती अपितु बाहर के लोगो को काम दिया जाता है।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित परियोजना केवल खनन पट्टे के आवंटन हेतु है तथा वहाँ कोई नया क्रेशर नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा की स्थानीय लोगो को रोजगार मे प्राथमिकता दी जाएगी। इन्होने कहा कि इस वयक्ति का घर 500 मीटर की दुरी पर है बावजूद इसके हमने फिर भी इनको तथा वहां के अन्य परिवारों को वित्तीय मदद की है। साथ ही श्री सतीश चौहान, ग्राम प्रधान पोका ने भी कहा कि खजान सिंह जी ग्राम पोका मे रहते है व इनके भाई जो की वेटनरी डॉक्टर है उनका घर भटरोग खनन क्षेत्र के पास है। इनके भाई के द्वारा हमे आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है।
3	श्री मदन सिंह, निवासी ग्राम पोका- भटरोग।	इन्होने कहा कि मेरी जमीन खनन क्षेत्र से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है फिर भी आजतक मुझे किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नही दी गई। हम केवल पति पत्नी है हमारा ख्याल कोई नहीं रखता।	श्री पवन शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा कहा गया कि आपका मुद्दा अलग से जिला प्रशासन द्वारा लिया जायेगा।
4	श्री गंगा राम, ग्राम पोका- भटरोग।	इन्होने कहा कि हमे इस प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नही है परन्तु हमे किसी भी प्रकार की सहायता आज तक परियोजना प्रस्तावक से नही मिली है।	परियोजना प्रस्तावक ने पुनः आश्वासन दिया कि जरूरतमंद आदमी को घर बनाने के लिए कच्चा माल दे कर मदद की जाएगी।
5	श्रीमती नीलम, ग्राम पोका- भटरोग।	इन्होने कहा कि इस परियोजना से ग्रामवासियो को रोजगार मिलेगा अत: हमे कोई आपत्ति नही है।।	--------
6	श्रीमती संगीता चौहान, ग्राम पोका-	इन्होने कहा कि रोजगार किन किन	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि सभी इच्छुक व्यक्तियों को उनकी योग्यता

	भटरोग।	लोगो को दिया जायेगा?	अनुसार काम दिया जायेगा।
7	श्री तपेंद्र, निवासी ग्राम पोका।	इन्होने कहा कि क्रेशर से कोइ वित्तीय सहायता नही मिली है अतः मेरी गुजारिश है की गांव मे ही रोजगार को बढ़ावा दिया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगो को दी जाएगी।
8	श्री नरेश चौहान, ग्राम पोका।	इन्होने कहा कि ढुलान के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रेक्टर के लिए क्या कोई सड़क निर्धारित की गई है ?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि नदी के किनारे किनारे सड़क को चिन्हित किया गया है जिसका नक्शा वन विभाग को दे दिया गया है। क्योकि सड़क नदी तल पर बनेगी जोकि बरसात मे भर जाता है इसलिय इस सड़क को पक्का नही किया जा सकता व धूल के रोकथाम हेतु इसपर नियमित पानी का छिड़काव किया जायेगा।
9	श्री कुलदीप सिंह, ग्राम पोका।	इन्होने कहा कि इस परियोजना से ग्रामवासियो को रोजगार मिलेगा अतः हमे कोई आपत्ति नही है।।	--------
10	श्री रजनीश, पूर्व प्रधान ग्राम पोका।	इन्होने कहा कि हमे इस खनन परियोजना से कोइ आपत्ति नही है अपितु और स्थानीय लोगो को अपनी निजी भूमि पर भी खनन करने की अनुमति दी जाए जिस से सरकार को भी राजस्व मिलेगा और स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।	अध्यक्ष महोदया द्वारा खनन अधिकारी को निर्देश दिए गए की वह इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखे।
11	अध्यक्ष महोदया, श्रीमती सोनाक्षी सिंह तोमर, भा.प्र.से. अतिरिक्त उपायुक्त जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि, जल , वायु व ध्वनि मॉनिटरिंग के लिए क्या प्रावधान है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि हमारी नॉएडा मे NABL द्वारा प्रमाणित लैब है जिसमे 90 दिनो के अंतराल पर लिए गए सैम्पलों की जाँच की जाएगी। श्री पवन शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब ने कहा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित निरिक्षण आवृति नियमानुसार समय समय पर निरिक्षण किया जाता है।

12	श्री अनिल कुमार, ग्राम पोका।	इन्होने कहा कि जो 10 % राशि पंचायत विकास हेतु निर्धारित राशि आज तक गांव को प्राप्त नही हुई है। हम चाहते है की हमे निम्नलिखित कार्यो के लिए राशि दी जाए। सामुदायिक भवन पोका के ऊपर रेन शेड बनाने हेतु रु.10 लाख की राशि प्रदान की जाए। पार्किंग स्थल पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए। गाँव मे वर्षा शालिका निर्माण हेतु भी राशी प्रदान की जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि हमने पहले से ही तीन लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए योगदान किया है। साथ ही अध्यक्ष महोदया ने कहा कि रेन शेड, सुरक्षा दीवार तथा वर्षा शालिका निर्माण हेतु राशि मनरेगा व पंचायत निधि से किया जायेगा, इसके आलावा शेड के निर्माण के लिए आवश्यक शेष राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी जाएगी।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

13/4/22

अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)